महाराणा प्रताप और जनजातीय संस्कृति को समर्पित दो नए पर्यटन सर्किट शुरू करेगी सरकार

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 200 करोड़ रुपए की इन दोनों परियोजना पर चर्चा की

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान के गौरवशाली इतिहास और जनजातीय संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से राज्य सरकार महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट और ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के रूप में दो महत्त्वाकांक्षी परियोजनाएं शुरू करने जा रही है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में इन दोनों परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार प्रदेश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन संप्रभुता, स्वाभिमान और बलिदान का प्रतीक है। उनकी वीरता और शौर्यगाथा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार 100 करोड़ रुपये की लागत से महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित कर रही है। इसमें चावंड, हल्दीघाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर और उदयपुर जैसे महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े ऐतिहासिक स्थल शामिल होंगे।

उन्होंने कहा कि इन स्थलों का विकास न केवल इतिहास के संरक्षण में सहायक होगा, बल्कि राज्य के पर्यटन क्षेत्र को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को अधिकारियों की बैठक लेकर महाराणा प्रताप और ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के विकास पर चर्चा की। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, पर्यटन, कला एवं संस्कृति, और वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

- **100 करोड़ रु. की लागत से बनने वाले महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट में चावंड, हल्दीघाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर और उदयपुर जैसे ऐतिहासिक स्थल शामिल होंगे।**
- **ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट पर भी 100 करोड़ रु. खर्च होंगे, इसमें सीतामाता अभयारण्य, ऋषभदेव, गौतमेश्वर मंदिर, मातृ कुण्डिया, बेणेश्वर धाम और मानगढ़ धाम जैसे स्थल शामिल होंगे।**

मुख्यमंत्री शर्मा ने निर्देश दिए कि हल्दीघाटी में महाराणा प्रताप के स्वामीभक्त घोड़े चेतक का एक भव्य स्मारक बनाया जाए। इसके साथ ही हल्दीघाटी के युद्ध को थ्रीडी तकनीक और लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से जीवंत रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि पर्यटक उस ऐतिहासिक पल को महसूस कर सकें।

चावंड स्थित महाराणा प्रताप के समाधि स्थल को भव्य रूप देने और दिवेर में ऐतिहासिक विजय की स्मृति में विजय स्तंभ के निर्माण के निर्देश भी दिए गए। गोगुंदा, दिवेर और चित्तौड़गढ़ में प्रताप के जीवन से जुड़े स्थलों पर स्मृति-चिन्ह और स्मारकों के विकास की योजना भी बनाई गई है।

राजस्थान सरकार जनजातीय समुदाय की गौरवशाली परंपराओं और सांस्कृतिक वैभव को संरक्षित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 100 करोड़ रुपये की लागत से ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा, जिसमें सीतामाता अभयारण्य, ऋषभदेव, गौतमेश्वर मंदिर, मातृ कुण्डिया, बेणेश्वर धाम और मानगढ़ धाम जैसे स्थल शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि बेणेश्वर धाम पर माही, सोम और जाखम नदियों के संगम पर हर वर्ष विशाल आदिवासी मेला आयोजित होता है, जिसे और सुव्यवस्थित किया जाएगा। घाटों और मूलभूत सुविधाओं को नया स्वरूप दिया जाएगा।इसके अलावा, बजट घोषणा के अनुरूप डूंगरपुर में डूंगर बरंडा और बांसवाड़ा में बांसिया चारपोटा में जनजातीय नायकों के स्मारक बनाए जाएंगे, जिससे आदिवासी समाज की ऐतिहासिक भूमिका को उचित सम्मान मिल सके।

इस समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, पर्यटन, कला एवं संस्कृति, और वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। राज्य सरकार का यह प्रयास राजस्थान की ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक पहचान को न केवल संरक्षित करेगा, बल्कि आने वाले वर्षों में प्रदेश को एक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने में भी सहायक सिद्ध होगा।

मंत्री किरोड़ी मीणा और विधायक गोठवाल के बीच तीखी नोकझोंक

भाजपा विधायक दल की बैठक में हुए इस विवाद को मुख्यमंत्री ने दखल देकर शांत कराया

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान में भाजपा के अंदरूनी मतभेद एक बार फिर सतह पर आ गए हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा बुलाई गई भाजपा विधायक दल की बैठक का माहौल उस समय गर्मा गया, जब कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और सवाई माधोपुर से विधायक जितेंद्र गोठवाल के बीच तीखी बहस हो गई। मामला इतना बढ़ा कि तू-तड़ाक की भाषा तक पहुंच गया, जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री को बीच में आकर हस्तक्षेप करना पड़ा।

- **इस घटनाक्रम के बीच, पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता वसुंधरा राजे का विधायक दल की बैठक में शामिल न होना भी चर्चा का विषय रहा**
- **जबकि सोमवार को वसुंधरा राजे विधानसभा में नजर आई थीं और पार्टी विधायकों के साथ बैठकें की थीं, साथ ही स्पीकर देवनानी से भी मुलाकात की थी। खराबे और अब कानून-व्यवस्था के नाम पर सोमवार को विरोध-प्रदर्शन किया गया।**

बैठक सुबह 10 बजे विधानसभा परिसर में शुरू हुई थी। सूत्रों के अनुसार, विधायक जितेंद्र गोठवाल ने बैठक के दौरान पीएचईडी विभाग से जुड़े एक अधिकारी की शिकायत की, यह कहते हुए कि वह उनका काम नहीं कर रहा है। इस पर मंत्री किरोड़ी मीणा ने उन्हें फटकारते हुए कहा, तुम फालतू बकवास करते हो। इसके बाद गोठवाल ने भी आक्रामक रुख अपनाते हुए तीखा जवाब दिया। दोनों नेताओं के बीच तू-तड़ाक की स्थिति बनने लगी, जिसे देख मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हस्तक्षेप कर मामला शांत कराना पड़ा। इस घटनाक्रम के बीच, पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता वसुंधरा राजे का बैठक में शामिल न होना भी चर्चा का विषय रहा। सोमवार को वे विधानसभा में नजर आई थीं और पार्टी विधायकों के साथ बैठकें की थीं, साथ ही विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से भी मुलाकात की थी। लेकिन मंगलवार को हुई विधायक दल की बैठक में उनकी अनुपस्थिति को लेकर राजनीतिक हलकों में अटकलें तेज हो गई हैं।

नाबालिग से दुष्कर्म के अपराध में सहयोगी रहे अभियुक्त को 20 साल की कैद

- **जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 6 साल पहले नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाया**
- **अदालत ने अभियुक्त पर 1.75 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है**

जयपुर (कासं)। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 6 साल पहले नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म में सहयोग करने वाले अभियुक्त महेश कुमार को 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1.75 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी केसी अटवासिया ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने 18 साल से कम उम्र की पीडिता के जंगल से घर लौटते समय मुख्य अभियुक्त की ओर से उसका अपहरण करने और बाद में दुष्कर्म करने में सहयोग किया। मौजूदा समय में छोटे बच्चों के साथ दुष्कर्म के अपराध बढ़ रहे हैं और ऐसे में अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्त के लिए किसी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती। मामले में पॉक्सो कोर्ट मुख्य अभियुक्त को 2021 में ही सजा सुना चुकी है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कमलेश शर्मा ने बताया कि पीडिता के पिता ने 29 मार्च 2019 को फागी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि वह सुबह 8 बजे काम पर गया था और घर पर उसकी 17 साल की बेटी अकेली थी। वह सुबह 11 बजे जब किसी काम से घर लौटा तो उसकी बेटी वहां पर नहीं मिली। उसने पीडिता की सभी जगह तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चला। उसे शक है कि उसका रिश्तेदार ही उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। वह 19 फरवरी को भी उसे ले गया था, तब परिजनों ने समझा दिया था, लेकिन उसने दुबारा अपराध किया है। पुलिस ने रिपोर्ट पर मुख्य आरोपी को 15 मई 2019 को हैदराबाद से गिरफ्तार कर पीडिता को बरामद किया। जांच में पता चला कि अभियुक्त महेश ने भी अपहरण व दुष्कर्म के अपराध में अभियुक्त को सहयोग किया था।

अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों का राष्ट्रीय अधिवेशन आज से शुरू

- **जयपुर के बिड़ला सभागार में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे उद्घाटन**
- **दो दिवसीय अधिवेशन में सात तकनीकी सत्र होंगे, जिनमें डिजिटल बैंकिंग से लेकर जोखिम प्रबंधन तक होगा मंथन**

जयपुर (कासं)। राजधानी जयपुर में अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों के दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन 10 सितंबर से बिरला ऑडिटोरियम में किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण आयोजन का उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। अधिवेशन का समापन 11 सितंबर को राज्यपाल हरिभाऊ बागडे के मार्गदर्शन से होगा।

यह अधिवेशन सहकार भारती और सहकारिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देशभर के अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकर्स, विशेषज्ञ और नीति निर्धारक हिस्सा लेंगे। आयोजन की तैयारियों का सोमवार को सहकारिता मंत्री गौतम दक और सहकार भारती के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने निरीक्षण किया और सेवा सदन में बैठक कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया।

सहकार भारती के प्रदेश मंत्री मनोज शर्मा और अधिवेशन के सह-व्यवस्था प्रमुख हनुमान प्रसाद अग्रवाल ने बताया कि अधिवेशन में सात प्रमुख सत्र आयोजित किए जाएंगे। इनमें साइबर सुरक्षा, डिजिटल बैंकिंग, डेटा एनालिटिक्स, जोखिम प्रबंधन, सुशासन, वन टाइम सेटलमेंट, अम्ब्रेला संगठन की अवधारणा, एक्ट और सहकारी बैंकों में चार्टर्ड अकाउंटेंट की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञ उद्बोधन देंगे।

इस अधिवेशन में सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदय जोशी, राष्ट्रीय महामंत्री दीपक चौरसिया, राष्ट्रीय संगठन मंत्री संजय पांचपौर, आरबीआई निदेशक सतीश मराठे सहित देश के कई वरिष्ठ सहकारी नेता और बैंकिंग विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। अधिवेशन के दौरान बैंकिंग विषय पर एक विशेष नाट्यय प्रस्तुति भी दी जाएगी।

अधिवेशन स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में सहकारिता मंत्री गौतम दक के साथ सहकार भारती के शीर्ष पदाधिकारी डॉ. उदय जोशी, दीपक चौरसिया, जीवन भाई गोले, प्रदीप चौबीसा और अन्य प्रमुख कार्यकर्ता शामिल रहे।

विधानसभा में ''कैमरा विवाद'' गर्माया

विपक्ष की सीटों के ऊपर लगाए गए अतिरिक्त कैमरों को लेकर कांग्रेस ने सदन में हंगामा और विरोध किया

-विधानसभा संवाददाता-

- **नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा ''इन कैमरों के जरिए विपक्ष के विधायकों की व्यक्तिगत बातचीत रिकॉर्ड की जा रही है, यह निजता का हनन है।''**
- **वहीं, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने विपक्ष के तर्कों को खारिज करते हुए कहा ''सदन कोई बेडरूम या बाथरूम नहीं है। यह एक सार्वजनिक मंच है जहां सबकी गतिविधियां पारदर्शी होनी चाहिए। कैमरों से निजता का हनन कैसे हो गया?''खराबे और अब कानून-व्यवस्था के नाम पर सोमवार को विरोध-प्रदर्शन किया गया।**

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब कांग्रेस विधायकों ने विपक्ष की तरफ अतिरिक्त कैमरे लगाए जाने को लेकर कड़ा विरोध जताया। विपक्ष ने इसे ''निजता का हनन'' बताया और सरकार पर विपक्ष की निगरानी करने का आरोप लगाया। वहीं, भाजपा विधायकों ने पलटवार करते हुए इसे कुकृत्यों को छिपाने की कोशिश करार दिया।

विधानसभा में जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, कांग्रेस विधायकों ने सदन में विपक्षी बेन्चों के ऊपर लगाए गए अतिरिक्त कैमरों का मुद्दा जोर-शोर से उठाया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि इन कैमरों के जरिए विपक्ष के विधायकों की व्यक्तिगत बातचीत रिकॉर्ड की जा रही है और उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है।

टीकाराम जूली ने कहा, यह केवल निगरानी नहीं, बल्कि हमारे निजता के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। सदन में हमारे ऊपर कैमरे लगा दिए गए हैं, हमारी बातचीत रिकॉर्ड की जा रही है। अगर सब कुछ पारदर्शी रखना है तो फिर इन कैमरों की फुटेज यूट्यूब पर लाइव क्यों नहीं की जाती?

वहीं कांग्रेस विधायक राजेंद्र पारीक ने सवाल उठाया कि आखिर ये अतिरिक्त कैमरे किसकी अनुमति से लगाए गए।

उन्होंने कहा, यह केवल विपक्ष का नहीं, पूरे सदन की गरिमा का प्रश्न है। ऐसी परंपरा शुरू करना बेहद खतरनाक है। स्पीकर की अनुमति के बिना ऐसा नहीं हो सकता।

इस पूरे घटनाक्रम पर भाजपा विधायक गोपाल शर्मा ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, निजता तो एक बहाना है, कांग्रेस विधायक सदन में धरना देते हैं, पैर दबवाते हैं, और रात में कुकृत्य की कोशिश करते हैं।

कैमरे लगाने का विरोध इसलिए है कि वे अपने आचरण को छिपा सकें।वहीं, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कैमरा लगाने को लेकर विपक्ष के तर्कों को खारिज करते हुए कहा, सदन कोई बेडरूम या बाथरूम नहीं है।

यह एक सार्वजनिक मंच है जहां सबकी गतिविधियां पारदर्शी होनी चाहिए। कैमरों से निजता का हनन कैसे हो गया?हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बार-बार विपक्ष को संयम बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस विषय पर आसन की तरफ से जल्द ही औपचारिक व्यवस्था दी जाएगी, लेकिन विपक्ष के सदस्य लगातार हंगामा करते रहे और कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करते रहे।

सिविल इंजिनियरिंग की फर्जी डिग्री दिलाने वाला गिरफ्तार

जयपुर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने कार्रवाई करते हुए सिविल इंजिनियरिंग की फर्जी डिग्री दिलवाने के मामले में एक आरोपित को जयपुर से गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी एसओजी) वीके सिंह ने बताया कि एसओजी की टीम ने सिविल इंजिनियरिंग की फर्जी डिग्री दिलवाने वाले सागर दौलतानी को सिन्धी कैम्प जयपुर से गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि एसओजी ने आदित्य यादव को पूर्व में गिरफ्तार किया गया था। जिसने 12वीं के बाद पढ़ाई नहीं की थी, किन्तु कालोरयक्ष यूनिवर्सिटी (वर्तमान में साबरमती विश्वविद्यालय) अहमदाबाद से फर्जी बीटेक सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री खरीदी थी। आरपीएससी द्वारा आयोजित सहायक अभियंता-सिविल (स्वायत शासन विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2022 परीक्षा में वह 7वीं रैंक पर चयनित सूची में आया था, जबकि उसने सिविल अभियांत्रिकी की पढ़ाई नहीं की थी।

निकाय-पंचायत चुनावों को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन

जयपुर (विसं)। प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनावों की तिथि घोषित न किए जाने को लेकर कांग्रेस का विरोध लगातार तेज़ होता जा रहा है। सोमवार को विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों ने इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया और राज्य सरकार पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अनदेखी करने का गंभीर आरोप लगाया। सुबह 10:30 बजे कांग्रेस विधायक विधायक आवास पर एकत्रित हुए, जहाँ से वे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में पोस्टर-बैनर लेकर विधानसभा परिसर पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायकों ने ''संविधान बचाओ'', ''चुनाव कराओ'' जैसे नारे लगाए और सरकार से तुरंत निकाय व पंचायत चुनाव कराने की मांग की।

कांग्रेस विधायकों ने अपने हाथों में जो पोस्टर लिए थे, उनमें लिखा था ''मैं भजनलाल हूं, मैं निकाय और पंचायत चुनाव 5 साल पर नहीं करवाऊंगा'', जो राज्य सरकार के प्रति व्यंग्यात्मक विरोध का संकेत था। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायकों ने संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ कर संविधान की रक्षा की शपथ भी ली। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत हर 5 साल में पंचायत और निकाय चुनाव कराना अनिवार्य है। लेकिन राज्य सरकार इस संवैधानिक प्रावधान की अनदेखी कर रही है।

उन्होंने कहा, ''हमने कई बार सरकार से चुनाव कराने की मांग की। हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिलों में प्रदर्शन किए, लेकिन सरकार संवैधानिक दायित्व निभाने के बजाय टालमटोल कर रही है। यह सीधा लोकतंत्र पर प्रहार है।'' टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से जुड़े कई निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियमों के खिलाफ सस्पेंड किया जा रहा है।

कर्नाटक के दल ने जयपुर में किया वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट का अवलोकन

जयपुर। नगर निगम हैरिटेज के कचरा प्रबंधन व्यवस्था को अब देशभर में सराहना मिल रही है। जयपुर की कचरा मुक्त बनाने में हेरिटेज निगम के विभिन्न प्लांट सहायक सिद्ध हो रहे है।

मंगलवार को कर्नाटक राज्य के टाऊन पंचायत बेलूर की इंजीनियरिंग विंग ने लंगड़ियावास स्थित वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का अवलोकन किया। इस दौरान प्रतिनिधि दल ने प्लांट की सारी प्रक्रिया को जाना। हेरिटेज निगम प्रोजेक्ट अधिशाषी अभियंता मुकेश कुमार ने बताया कि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में प्रतिदिन एक हजार टन कचरे को री ड्यूज कर 12 मेगावाट बिजली बनाई जा रही है। इसमें डोर टू डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था के तहत नगर निगम हूपर के माध्यम से कचरे को प्लांट तक पहुंचाया जाता है। जहां प्रक्रिया के तहत कचरे को रि ड्यूज कर ऊर्जा में परिवर्तित किया जा रहा है। इस प्लांट को जिंदल पावर कंपनी के द्वारा संचालित किया जा रहा है।

निरीक्षण के दौरान बेल्लूर आए दल के कुल 17 अधिकारियों का दल शामिल रहा। इस दौरान हेरिटेज निगम महापौर के विशेषाधिकारी सुनील कुमार यादव ने निरीक्षण कर कर्नाटक से आए प्रतिनिधि दल को प्लांट के संबंध में जानकारी दी।

यूपीएससी अभ्यर्थी ने दी गंभीर बीमारी को मात

जयपुर। नारायणा अस्पताल जयपुर के कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. शुभम शर्मा और उनकी टीम ने एक असाधारण उपलब्धि हासिल की, जब 22 वर्षीय यूपीएससी अभ्यर्थी ने एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और उससे जुड़ी गंभीर जटिलताओं को मात देकर नया जीवन पाया। मरीज की स्थिति इतनी गंभीर थी कि उन्हें आईसीयू में लंबे समय तक भर्ती रहना पड़ा, वेंटिलेटर सपोर्ट, प्रोनिंग पोज़िशन और लगातार निगरानी की आवश्यकता पड़ी। हालात तब बिगड़े जब उन्हें प्न्यूमोमीडियास्टिनम और दोनों फेफड़ों में न्यूमोथोरैक्स फेफड़ों में हवा भर जाना, जिससे उसमें सिकुडन जाती है, जैसी जटिलताएँ हो गईं। लगातार पाँच दिन तक दवाइयों का असर न होने पर चिकित्सकीय टीम ने नया उपचार शुरू किया। विशेषज्ञों की सतत निगरानी और देखभाल से धीरे-धीरे फेफड़े स्वस्थ होने लगे।

विद्यार्थियों को सुरक्षित भवनों में पढ़ाने की व्यवस्था का रोडमैप पेश करे सरकार : हाईकोर्ट

- **अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिवों को भी मौका निरीक्षण के निर्देश दिए**

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि वह रोडमैप पेश कर विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जल्दी से जल्दी उचित और उपयुक्त भवन मुहैया कराने की जानकारी दे। इसके साथ ही अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे अध्ययन के काम आ रही स्कूलों और पढाई के लिए राज्य सरकार की ओर से की गई वैकल्पिक व्यवस्था का 15 सितंबर से 18 सितंबर के बीच रेंडम सर्वे कर अदालत में इसकी रिपोर्ट पेश करे। प्राधिकरण सचिव इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र के दूर-दराज वाली स्कूलों का विशेष ध्यान रखें। इस दौरान अदालत ने संबंधित कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों सहित जिला शिक्षा अधिकारियों को उचित व्यवस्था करने को कहा है। जस्टिस महेन्द्र गोयल और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत मामले में 19 सितंबर को सुनवाई करेगी।

सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने प्रमुख शिक्षा सचिव का शपथ पत्र पेश किया। महाधिवक्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि प्रदेश की कई जर्जर स्कूल चिन्हित कर वहां अध्ययनरत विद्यार्थियों को वैकल्पिक स्थानों पर पढाया जा रहा है। इस पर अदालत ने कहा कि अब बच्चे टीन शेड के नीचे पढ रहे हैं, यह स्थिति ठीक नहीं है। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा की स्कूल भवनों की उचित व्यवस्था करने की क्या व्यवस्था है। इसके साथ ही अदालत ने इस संबंध में राज्य सरकार को रोडमैप पेश कर कोर्ट को इसकी जानकारी देने को कहा है। वहीं अदालत ने मौजूदा हालातों को जानने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिवों को निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। गौरतलब है कि झालावाड़ की एक स्कूल का भवन गिरने से विद्यार्थियों की मौत के बाद अदालत ने मामले में स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया था। वहीं गत सुनवाई पर अदालत ने जर्जर भवनों में पढाने पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा था। वहीं प्रमुख शिक्षा सचिव से वैकल्पिक व्यवस्था की जानकारी पेश करने को कहा था।

समाज कल्याण सप्ताह 1 अक्टूबर से

जयपुर (कासं)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हर वर्ष की तरह आगामी 1 से 7 अक्टूबर तक प्रदेश भर में समाज कल्याण सप्ताह मनाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार समाज कल्याण सप्ताह के आयोजन का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विशेष योग्यजन, महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करने के साथ-साथ सामाजिक बुराइयों एवं कुरीतियों के विरूद्ध जनचेतना जाग्रत करना है। गहलोत ने बताया कि सप्ताह के दौरान आयोजित की जाने वाली गतिविधियों को दिवसों में बांटा गया है।

राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पर सियासी संग्राम

- **सरकार ने बताया ऐतिहासिक कदम, कांग्रेस पर लगाए तुष्टिकरण के आरोप**

जयपुर (विसं)। राजस्थान विधानसभा में पेश किए गए धर्मांतरण विरोधी विधेयक को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा सरकार के मंत्रियों और विधायकों ने इसे राज्य की संस्कृति और धार्मिक समरसता की रक्षा का ''ऐतिहासिक फैसला'' बताया है। वहीं, विपक्षी कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति करने और बहस से बचने के आरोप लगाए गए।

राज्य सरकार के मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस विधेयक को लाकर लाखों धर्मप्रेमियों की भावनाओं का सम्मान किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीब, दलित, आदिवासी और महिलाओं को डराकर, लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, जिसे रोकने के लिए यह कठोर कानून लाया गया है। बेढम ने कहा कि कांग्रेस विधायकों ने दिल्ली के नेताओं के इशारे पर सदन में चर्चा से किनारा किया, जिससे साफ होता है कि पार्टी तुष्टिकरण की नीति पर चल रही है। उन्होंने कहा कि अलवर और बांसवाड़ा जैसे जिलों में जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद की घटनाएं चिंताजनक हैं।

इस विधेयक में कड़े प्रावधान शामिल हैं- जबरन धर्मांतरण पर 7 से 14 साल की सजा, जबकि दलित, महिला या दिव्यांग को निशाना बनाए जाने पर 20 साल तक की सजा और आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। इसके अलावा, अवैध संपत्ति के जरिये धर्म परिवर्तन कराने वालों पर बुलडोजर कार्रवाई का भी प्रावधान जोड़ा गया है।

मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ वोटबैंक की राजनीति के चलते इस विधेयक पर बहस से बचने का फैसला लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के चार मुस्लिम विधायक इस कानून का विरोध कर रहे थे। मंत्री राज्यवर्धन सिंह ने कहा कि यह कानून हर धर्म की रक्षा के लिए है और अब कोई भी व्यक्ति किसी अन्य धर्म में जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करा सकेगा। वहीं, विधायक महंत प्रतापपुरी ने सिरोही और जैसलमेर में हुई लव जिहाद की घटनाओं का ज़िक्र करते हुए कहा कि अब ऐसी घटनाओं पर सख्त रोक लगेगी।

भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि कांग्रेस ने इस विधेयक पर चर्चा से भागकर यह साबित कर दिया कि वह हिन्दू विरोधी मानसिकता से ग्रस्त है। उन्होंने दावा किया कि राज्य की जनता इस कानून की लंबे समय से मांग कर रही थी।